2020

सीजीएचएस

एक नजर में

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के नियम कामकाज और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी

pc

लेखक :चंद्रकांत बापट

8/22/2020

प्रस्तावना

इस पुस्तक को सीजीएचएस के सदस्यों, द्वारा विशेष रूप से पेंशनरों को सीजीएचएस के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए लिखा और संकलित किया गया है। कई सदस्यों को सीजीएचएस और इसके कामकाज में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं है। सदस्यों को विशेष रूप से दवाइयां प्राप्त करने, रेफरल प्रक्रिया, जांच और उपचार प्रक्रियाओं, आपातकालीन स्थिति में उपचार, पैनल में सम्मिलित अस्पतालों (Empaneled Hospital) की सूची और सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सीजीएचएस के बारे में कुछ जानकारी साइट https://cghs.gov.in/index.php और https://cghs.nic.in/ और अन्य संबंधित लिंक पर उपलब्ध है। कई वरिष्ठ नागरिकों को कंप्यूटर के उपयोग और विशेष रूप से ऑनलाइन काम जैसे लॉगिन, ओटीपी, पासवर्ड आदि के बारे में जानकारी नहीं है । अधिकांश वरिष्ठ नागरिक अब स्मार्टफ़ोन का उपयोग जानते हैं, लेकिन छोटे अक्षर और दृष्टि की समस्या के कारण इसे संचालित करना मुश्किल होता है और उपयोग व्हाट्स एप ग्रुप या फेसबुक तक सीमित रहता है। कुछ सदस्य हिंदी में अधिक सहज महसूस करते हैं किन्तु सीजीएचएस की लिंक द्विभाषी नहीं है।

DO NOT COPY

इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए और सीजीएचएस के बारे में सही जानकारी देने के लिए मुझे हिंदी में पुस्तिका लेखन संकलन करने की आवश्यकता महसूस हुई। पुस्तक में कुछ विषयों पर मैंने अपने विचार व्यक्त किये हैं इस पर सभी सहमत हों, यह आवश्यक नहीं है।

पुस्तक में दी गई कुछ जानकारी को सीजीएचएस की प्रामाणिक वेबसाइट और कार्यालय ज्ञापन/पत्र से डाउनलोड कर हिंदी में अनुवादित किया गया है। अनुवाद में कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, अतः वेबसाइट में दिए गए मूल अंग्रेजी संस्करण या आधिकारिक पत्रों को प्रामाणिक माना जाएगा। प्रत्येक विषय के नीचे सीजीएचएस का लिंक दिया गया है। पुस्तक में दी गई जानकारी सही है या गलत, साइट पर जाकर इसकी जांच की जा सकती है।

सीजीएचएस बेनीफिशरी एसोसिएशन का सदस्य बनने के बाद मुझे इस एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्यों का बहुत सहयोग मिला है। इस सहयोग के बिना यह पुस्तक लिखना संभव नहीं था। अतएव मैं उन सबका आभार प्रगट करते हुए यह पुस्तक एसोसिएशन को समर्पित करता हूँ।

मुझे आशा है कि पुस्तक सदस्यों के लिए उपयोगी होगी। शामिल करने के लिए किसी भी सुझाव और अतिरिक्त जानकारी का स्वागत है। *email: cbapat1947@gmail.com*

चंद्रकांत बापट

DO NOT COPY

अध्य्यन के लिए चुने गए बिन्दुओ की सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
1	केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना - संक्षिप्त परिचय	4-5
2	सीजीएचएस में उपलब्ध सुविधाएं	6-7
3	सीजीएचएस में शामिल होने के लिए पात्रता	8-12
4	पात्रता मानदंड	13
5	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत सेवा प्रदान करने वाले शहरों की सूची	14-17
6	स्वास्थ्य केंद्र का समय और ऑनलाइन पंजीकरण	18-23
7	सीजीएचएस योगदान और वार्ड प्रवेश	24-25
8	इंटरएक्टिव ऑनलाइन सेवाएं/24x7 राष्ट्रीय सीजीएचएस हेल्पलाइन	26-31
9	प्लास्टिक कार्ड	32-40
10	दवाओं की आपूर्ति	41-48
11	रेफरल के लिए प्रक्रिया	49-50
12	जांच और उपचार प्रक्रिया	51-52
13	अस्पताल में भर्ती और इलाज	53-55
14	चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति	56-63
15	प्रमाणितअस्पताल/डायग्नोस्टिक सेंटर,और सीजीएचएस की सूची	64-65
16	शिकायत निवारण	66-68
17	समस्यायें और समाधान	69-70
18	सीजीएचएस बेनेफिशरी वेलफेयर एसोसिएशन	71-73

DO NOT COPY

केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना

पिछले छह दशकों से केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को योजना के तहत नामांकित व्यापक चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। वास्तव में सीजीएचएस भारत में विधानमंडल, न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रेस जैसे लोकतंत्र के सभी चार स्तंभों के पात्र लाभार्थियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। सीजीएचएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए मॉडल स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करता है और लाभार्थी आधार की बड़ी मात्रा के कारण अपनी तरह का अनूठा है। सीजीएचएस का स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का दृष्टिकोण उदार है। वर्तमान में लगभग 35 लाख लाभार्थी पूरे भारत में लगभग 74 शहरों में सीजीएचएस की सुविधाएं प्राप्त हैं और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार ये संख्या निकट भविष्य में 100 तक हो जायेगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की तरफ हमें स्वास्थ्य बीमा योजना की तरह देखना होगा। अधिकतर स्वास्थ्य केंद्र निवास स्थान से दूर होते हैं इसलिए छोटी बीमारियों के लिए हर बार स्वास्थ्य केंद्र जाना संभव नहीं होता है । पेंशनरो के लिए स्वास्थ्य योजना का मुख्य उद्देश्य गंभीर बीमारीयो का इलाज ओर उसमें लगने वाली दवाइयों की आपूर्ति करना है।

DO NOT COPY

यदि आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं तो आपको योजना से लाभ होगा और वृद्धावस्था में आपको आर्थिक तंगी नहीं होगी अथवा अपने रिश्तेदारों पर निर्भर नहीं होना होगा । यदि आप गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं है तो अधिक खुश होइए की इस योजना में आपके द्वारा दिया गया आर्थिक योगदान आपके किसी दूसरे पेंशनभोगी के उपयोग में आ रहा है और आपके द्वारा परोक्ष रूप से दान दिया गया है। । योजना का सदस्य बनने के बाद यदि आप यह अपेक्षा करेंगे की आपकी हर आवशयकता जैसे विक्स वेपोरब , च्यवनप्राश अदि की पूर्ति भी स्वास्थ्य केंद्र से की जाएगी तो आप निराश होंगे।

विभाग के कुछ कायदे कानून है जैसा की हर सरकारी विभाग में होता है योजना का लाभ आपको देने के पहले विभाग के कुछ कर्मचारी, इस आधार पर कि, नियमों का अनुपालन नहीं हुआ है अथवा तकनीकी कमी के आधार पर आपको आपका हक़ देने में रोड़ा अटकाते है। इसलिए योजना का का लाभ लेने के लिए इन नियमों का ज्ञान और पालन आवश्यक है। पुस्तक का वास्तविक उद्देश्य आपको इन नियमों का ज्ञान कराना है। **एक नजर** में यह योजना सदस्यों के लिए विशेषकर पेंशनरो के लिए हितकारी है ।

DO NOT COPY

सीजीएचएस में उपलब्ध सुविधाएं

सीजीएचएस, चिकित्सा की निम्नलिखित प्रणालियों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है ।

- *एलोपैथिक*
- होम्योपैथिक

भारतीय चिकित्सा पद्धति

- आयुर्वेद
- यूनानी
- सिद्ध
- योग
- ओपीडी उपचार दवाओं के निर्गमन (ISSUE) सहित।
- पॉलीक्लिनिक / सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ परामर्श।
- सरकारी और सूचीबद्ध (empaneled) अस्पतालों में इनडोर उपचार।
- सरकारी और सूचीबद्ध नैदानिक केंद्रों (Diagnostic centers.) पर जांच।
- सभी लाभार्थियों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों और नैदानिक केंद्रों में उपचार के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध ।

DO NOT COPY

- आपातकाल के तहत निजी अथवा सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए खर्चों की प्रतिपूर्ति।
- श्रवण यंत्रों, कृत्रिम अंगों, उपकरणों आदि की खरीद के लिए किए गए खर्चों की निर्दिष्ट मानकों के अनुसार प्रतिपूर्ति ।
- परिवार कल्याण, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाएँ।
- आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और दवाओं की सिद्ध प्रणाली (आयुष) में दवाओं का परामर्श और वितरण ।

- सभी लाभार्थियों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों और नैदानिक केंद्रों में उपचार के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध ।

DO NOT COPY

सीजीएचएस में शामिल होने के लिए पात्रता

https://cghs.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=6020&lid=3946

निम्नलिखित सभी व्यक्ति सीजीएचएस सुविधाओं के लिए पात्र हैं।

- *सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी जिन्हें केंद्रीय सिविल अनुमान (रेलवे और दिल्ली प्रशासन को छोड़कर) से भुगतान किया जाता है, जिसमें उनके आश्रित परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, और जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ सीजीएचएस अपनी सेवा प्रदान करता है।*
- केंद्र सरकार के पेंशनर्स (रेलवे और सशस्त्र बलों से संबंधित पेंशनरों को छोड़कर) और उनके परिवार।
- केंद्र सरकार के पेंशनर्स और उनके परिवार जो अंशदायी भविष्य निधि लाभ के साथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
- केंद्र सरकार के पेंशनरों की विधवाएं जो जिन्हे परिवार पेंशन की प्राप्ति होती है।
- दिल्ली में दिल्ली पुलिस के जवान और उनके परिवार।
- रेलवे बोर्ड एवं ऑडिट के कर्मचारी।
- डिफेंस के सिविलियन कर्मचारी जिन्हे डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से भुगतान प्राप्त होता है।

DO NOT COPY

- ऐसे बच्चे (नाबालिग भाइयों और बहनों सहित) जिन्हे एक केंद्र सरकार के कर्मचारी की मृत्यु पर पेंशन प्राप्त होती है।
- पूर्व-गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके परिवार।
- पूर्व-उपाध्यक्ष और उनके परिवार।
- केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो अर्ध-सरकारी और स्वायत्त निकायों से प्रतिनियुक्त हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त अनुदान दिया जाता है।
- केंद्र सरकार वे कर्मचारी जो वैधानिक या स्वायत्त संस्थानों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं।
- सिविल विभागों में प्रतिनियुक्ति पर ऐसे सैन्य अधिकारी जिन्हे सेंट्रल सिविल एस्टीमेट से उनका वेतन प्राप्त होता है।
- गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में स्थानांतरित होने वाले सरकारी सेवकों के परिवार जिन्होंने अग्रिम रूप से 6 महीने का अंशदान जमा किया है। परन्तु यह लाभ छह महीने की अधिकतम अवधि के लिए ही प्राप्त होता है।
- पूर्वोत्तर कैडर के आई ए एस अधिकारियों के परिवार, जो उत्तर-पूर्वी कैडर में आई ए एस अधिकारी के प्रत्यावर्तन के बाद भी दिल्ली में रहते हैं, बशर्ते कि वे दिल्ली या नई दिल्ली में सरकारी आवास पर निवास

DO NOT COPY

करना जारी रखे। उन्हें अग्रिमरूप में सीजीएचएस का योगदान एक से तीन वर्ष का जमा करना होता है। यही बात जम्मू-कश्मीर कैडर के आई ए एस अधिकारियों के परिवारों पर भी लागू होती है।

- केंद्र सरकार और उनके परिवारों के संसदीय सचिव।
- संसद के सदस्य और उनके परिवार।
- संसद के पूर्व सदस्य।
- उच्चतम न्यायालय और दिल्ली के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश।
- केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा चलाए जा रहे प्रतिष्ठानों में काम करने वाले औद्योगिक कर्मचारी, सेवा में शामिल होने की तारीख से तुरंत सी जी एच एस की सुविधा प्राप्त कर सकते है।
- दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी।
- आयुध निर्माणी बोर्ड मुख्यालय, कोलकाता और आयुध उपकरण कारखानों मुख्यालय, कानपुर के कर्मचारी।

DO NOT COPY

- ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर्स जो अपने विकल्प के तहत राज्य के अधीन रहते हुए सेवानिवृत्त होते हैं।
- स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार के सदस्य जो स्वातंत्र्य सैनिक सम्मान पेंशन योजना के तहत केंद्रीय पेंशन प्राप्त करते है।
- संसद के मृतक पूर्व सदस्यों के परिवार के सदस्य।
- आयुध कारखानों के पेंशनभोगी।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रूप में सेवारत न होते हुए भी संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के स्टाफ पक्ष के सदस्य।
- अर्ध-सरकारी और स्वायत्त निकायों में कार्यरत व्यक्तियों को सीजीएचएस योजना में शामिल होने की अनुमति है।
- एक मान्यता प्राप्त पत्रकार जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, जिसमें कहा गया हो कि वह प्रेस एसोसिएशन, का सदस्य है।
- भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के सेवानिवृत्त मंडल लेखाकार और जिनके वेतन और पेंशन पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाते हैं।
- पीएसयू में अवशोषित ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपनी पेंशन का 100 प्रतिशत कम्यूट किया था और 15 साल

DO NOT COPY

बाद उनकी पेंशन का एक तिहाई हिस्सा बहाल किया गया है।

- केंद्रीय सरकार के कर्मचारी जो सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकायों में प्रतिनियुक्ति पर गए परन्तु वहीं अवशोषित किए गये। यदि वे केंद्रीय सिविल पेंशन की प्राप्ति में हैं, तो सीजीएचएस सुविधा के पात्र हैं।
- सेवा में और सेवानिवृत्त रेलवे ऑडिट स्टाफ।
- सेवा में और सेवानिवृत्त संभागीय लेखा अधिकारी और लेखाकार जो राज्यों में अकाउंटेंट जनरलों के कार्यालय में पदस्थ हैं।
- केंद्रीय भारतीय सुरक्षा बल कर्मी और उनके परिवार और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान सीजीएचएस शहरों में तैनात हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के कर्मचारी।
- भारत फार्माकोपिया आयोग के कर्मचारी, और उनके परिवार।
- ऐसे केंद्रीय सरकार कर्मचारी के परिवार और आश्रित सदस्य जो कर्मचारी एन.ई. क्षेत्र (सिक्किम सहित), अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप या लद्दाख क्षेत्र और सीएपीएफ कर्मी वाम विंग चरमपंथी क्षेत्रों में तैनात हैं,

DO NOT COPY

सीजीएचएस सुविधा के पात्र हैं यदि वे अग्रिम में वार्षिक सीजीएचएस योगदान के भुगतान कर देते हैं।

- मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड सेंट्रल ऑर्डनेंस डिपो और ए एफ एम एस डी के रक्षा औद्योगिक कर्मचारी।

पात्रता मानदंड

- केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी की पात्रता का निर्धारण अकेले निवास मानदंड है (और मुख्यालय नहीं)। इस प्रकार, किसी भी अधिसूचित शहर में रहने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के अंतर्गत आते हैं।

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत सेवा प्रदान करने वाले शहरों की सूची

https://cghs.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=5781&lid=3661

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत वर्तमान में 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को निम्नलिखित शहरों में व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है ।

1. अगरतला
2. आगरा
3. अहमदाबाद
4. ऐज़वाल
5. अजमेर
6. अलीगढ़
7. इलाहाबाद (प्रयागराज)
8. अम्बाला
9. अमृतसर
10. बागपत
11. बेंगलुरु
12. बरेली
13. बेरहामपुर
14. भोपाल
15. भुवनेश्वर

DO NOT COPY

16. चंडीगढ़
17. चेन्नई
18. छपरा
19. कटक
20. दरभंगा
21. धनबाद
22. देहरादून
23. दिल्ली और एनसीआर

    दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, इंदिरापुरम, साहिबाबाद
24. डिब्रूगढ़
25. गांधीनगर
26. गंगटोक
27. गया
28. गोरखपुर
29. गुवाहाटी
30. गुंटूर
31. ग्वालियर
32. हैदराबाद
33. इम्फाल
34. इंदौर

DO NOT COPY

35. जबलपुर,
36. जयपुर
37. जालंधर
38. जलपाईगुड़ी
39. जम्मू
40. जोधपुर
41. कानपुर
42. कोहिमा
43. कोलकाता
44. कोटा
45. लखनऊ
46. मेरठ
47. मुरादाबाद
48. मुंबई
49. मुज़फ़्फ़रपुर
50. नागपुर
51. नेल्लोर
52. पणजी
53. पटना
54. पुडुचेरी
55. पुणे

DO NOT COPY

56. रायपुर
57. रांची
58. राजमुंदरी
59. सहारनपुर
60. शिलांग
61. शिमला
62. सिलचर
63. सोनीपत
64. श्रीनगर
65. वाराणसी
66. विजयवाड़ा
67. तिरुचिरापल्ली
68. तिरुनेलवेली
69. तिरुपति
70. तिरुवनंतपुरम
71. विशाखापट्टनम

* जल्द ही शुरू किया जाएगा

72. कोच्चि
73. कन्नूर
74. कोजीकोड

DO NOT COPY

स्वास्थ्य केंद्र का समय और ऑनलाइन पंजीकरण

(https://cghs.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=5782&lid=3660)

आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर जहां कहीं भी लागू हो सीजीएचएस स्वास्थ्य केंद्र सोमवार से शनिवार तक सभी कार्य दिवसों पर सुबह 7:30 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहते हैं।

स्वास्थ्य केंद्र सभी केन्द्र सरकार की छुट्टियों पर बंद रहते हैं। हालाँकि, एक साथ होने वाली 3 लगातार छुट्टियों के मामले में, कल्याण केंद्र लगातार 2 दिनों से अधिक के लिए बंद नहीं होंगे। सीमांकित आपातकालीन सेवाएं केवल दिल्ली में निम्नलिखित जगह में उपलब्ध हैं।

- साउथ एवेन्यू
- नॉर्थ एवेन्यू
- ज़ाकिर हुसैन रोड
- किंग्सवे कैंप

आपातकालीन सेवाओं के साथ स्वास्थ्य केंद्रों का समय :

स्वास्थ्य केन्द्रो का समय 7:30 AM से 1:30 PM तक सीमित है । इमरजेंसी सेवाएं 1:30 PM से 7:30 AM तक शुरू रहती हैं।

दिल्ली में निम्नलिखित स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा /फर्स्ट एड पोस्ट भी हैं।

- निर्माण भवन
- केंद्रीय सचिवालय
- विट्ठल भाई पटेल हाउस
- शास्त्री भवन
- आरएमएल अस्पताल के सामने नर्मदा हाउस
- सुप्रीम कोर्ट और
- मोती बाग

इन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रो का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 5: 00 बजे तक है।

सीजीएचएस स्वास्थ्य केंद्र सोमवार से शनिवार तक सभी कार्य दिवसों पर सुबह 7:30 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहते हैं।

स्वास्थ्य केंद्र सभी केन्द्र सरकार की छुट्टियों पर बंद रहते हैं।

DO NOT COPY

पंजीकरण

लाभार्थियों को स्वास्थ्य केंद्रों में चिकत्सा के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है। यह पंजीकरण एक दिन पूर्व (स्व पंजीकरण) घर से हो सकता है अथवा चिकित्सा के दिन स्वास्थ्य केंद्र में आकर कर सकते है।

पंजीकरण स्वास्थ्य केंद्र के खुलने पर शुरू होता है और केंद्र केबंद होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। हालांकि, कोई भी गंभीर रोगी वापस नहीं लौटाया नहीं जाता है।

कई सदस्यों की यह शिकायत होती है की हमें स्वास्थ्य केंद्र में डाक्टर से मिलने के लिए घंटों लाइन में खड़े होना पड़ता है। इसके दो पहलुओ पर हमें विचार करना होगा। किसी भी अच्छे डॉक्टर से मिलने के लिए किसी भी अस्पताल में आपको इंतज़ार करना पड़ता है। दूसरा हर अस्पताल में डॉक्टर से मिलने के लिए हमें अस्पताल में फ़ोन कर समय लेना होता है। इसके बावजूद आपको इंतज़ार करना पड़ता है। डॉक्टर से समय लेकर मिलने की सुविधा केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के स्वास्थ्य केंद्रों में भी उपलब्ध है। परन्तु या तो हमें इसका ज्ञान नहीं है या फिर हम इसका उपयोग कैसे करना है इसकी जानकारी नहीं है। सदस्यों को इस सुविधा का कैसे उपयोग करना है यह जानकारी विस्तृत

DO NOT COPY

रूप में नीचे दी गयी है। यह प्रक्रिया आप अपने स्मार्ट मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते है।

नियुक्ति की तिथि के 72 घंटे के भीतर जीडीएमओ के लिए नियुक्ति ली जा सकती है जबकि नियुक्ति के 1 महीने के भीतर विशेषज्ञ के लिए नियुक्ति ली जा सकती है। उसी दिन या तिथि के लिए ऑनलाइन नियुक्ति नहीं ली जा सकती है । 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से सीजीएचएस हेल्पलाइन नंबर 18002088900 पर कॉल करके भी नियुक्ति बुक कर सकते हैं।नियुक्ति लेने के पहले यह देख लेना चाहिये की उस दिन स्वास्थ्य केंद्र का अवकाश का दिन तो नहीं है।

स्व पंजीकरण नियुक्ति (ऑनलाइन अपॉइंटमेंट) की विधि

स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी या किसी विशेष स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करने वाले विशेषज्ञ के साथ स्व पंजीकरण नियुक्ति सीजीएचएस पोर्टल cghs.nic.in पर लिंक कर बुक अपॉइंटमेंट के माध्यम से बुक की जा सकती है।

स्व पंजीकरण (ऑनलाइन अपॉइंटमेंट) लेने के चरण इस प्रकार हैं:

1. वेबसाइट cghs.nic.in पर जाएं।

2. स्क्रीन के दांयी ओर उपलब्ध विकल्प बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करें।

3. लाभार्थी आईडी दर्ज करें और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें।

4. एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। लाभार्थी या मुख्य कार्ड धारक के मोबाइल पर, यदि वह एकमात्र पंजीकृत संख्या है।

5. ओटीपी दर्ज करें और आगे बढ़ें (proceed) पर क्लिक करें।

6. लाभार्थी का विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। यदि स्क्रीन पर प्रदर्शित विवरण सही हैं, तो आगे बढ़ें **(Proceed)** बटन पर क्लिक करें अन्यथा नहीं **(NOT YOU)** पर क्लिक करें। उस स्थिति में फिर से लॉगिन करें और ऊपर के रूप में आगे बढ़ें।

7. अपनी पसंद के अनुसार स्पेशलिटी, डिस्पेंसरी, डॉक्टर का चयन करें और आगे बढ़ें **(Proceed)** बटन पर क्लिक करें। एक लाभार्थी जीडीएमओ (जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर) या सीजीएचएस स्वास्थ्य केंद्र के किसी भी विशेषज्ञ का चयन कर सकता है।

DO NOT COPY

8. एक कैलेंडर उस तिथि को चुनने के लिए प्रदर्शित किया जाता है जिसमें चयनित चिकित्सक की नियुक्ति की उपलब्धता होती है। नियुक्ति के लिए तारीख का चयन करें।
9. तिथि का चयन करने पर, स्क्रीन के ऊपर स्लॉट समय और उपलब्ध नियुक्तियों को दर्शाता है। एक लाभार्थी वांछित स्लॉट चुन सकता है।
10. प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करें। चैंज द स्पेशलिटी बटन का उपयोग करके कोई भी वापस जा सकता है और नियुक्ति में बदलाव कर सकता है।
11. बटन पर क्लिक करने के लिए आगे बढ़ें बुक अपॉइंटमेंट, लाभार्थी विवरण और नियुक्ति विवरण स्क्रीन पर पुष्टि के लिए प्रदर्शित किए गए हैं।
12. बुक अपॉइंटमेंट विकल्प पर क्लिक करें , पुष्टि स्थिति पृष्ठ प्रदर्शित होता है। लाभार्थी पुष्टिकरण पर्ची को प्रिंट कर सकता है, या दूसरी नियुक्ति बुक कर सकता है। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भी भेजेगा। अब आप नियुक्त समय के ५/१० मिनिट पहले स्वास्थ्य केंद्र में जाकर तय समय पर डॉक्टर से इलाज ले सकते है। इससे आपके समय की बचत होगी।

समय बचाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें।

DO NOT COPY

सीजीएचएस योगदान और वार्ड प्रवेश

https://cghs.gov.in/showfile.php?lid=4719

सीजीएचएस क्षेत्र (सुविधाएँ जहाँ कहीं भी उपलब्ध की गई हैं) में रहने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा के लिए, सीजीएचएस कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। कर्मचारियों के वेतन से निम्नलिखित कटौती विभाग द्वारा हर महीने, 7 वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में उनके वेतन के आधार पर की जाती है।

(1/1/2017) पे मैट्रिक्स में प्रति माह 7 सीपीसी योगदान के अनुसार स्तर

स्तर 1-5 - रु। 250

[grade pay 1800-2800 **PB-1 (5200-20200)]**

स्तर 6 - रु। 450

[grade pay PB-2 (9300-34800) PB-2 (9300-34800)]

स्तर 7-11- रु। 650

[grade pay (4200 TO 5400) PB-2 (9300-34800)]

[grade pay 5400 TO 7600) PB-3 (15600-39100)]

स्तर 12 और उससे अधिक रु। 1000

[(GP 8700 TO 10000) PB-4 37400-67000 और अधिक

पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा किया जाने वाला अंशदान वह राशि होगी जो वे अपनी सेवानिवृत्ति के

समय या सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय सदस्य दे रहे थे।

पेंशनभोगी जो सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, वे या तो वार्षिक आधार पर या पूरे जीवन की वैधता के लिए एक बार (दस वर्ष के बराबर) योगदान दे सकते हैं। सीजीएचएस (वेतन बैंड में मूल वेतन के आधार पर) के तहत निजी अस्पतालों में वार्डों का प्रवेश निम्नानुसार है: प्रति माह 7 वें सीपीसी में अधिकारी द्वारा तैयार किया गया मूल वेतन

1 जनरल वार्ड	रु। 47,600 / -
2 अर्ध निजी वार्ड	रु। 47,601 से 63100 / -
3 निजी वार्ड	रु। 63101 और उससे अधिक।

DO NOT COPY

इंटरएक्टिव ऑनलाइन सेवाएं

https://cghs.gov.in/showfile.php?lid=5528 &
https://cghs.gov.in/showfile.php?lid=5529

सीजीएचएस पोर्टल cghs.nic.in के माध्यम से सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए सहभागिता (इंटरैक्टिव) ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं।

कई सदस्यों की यह शिकायत होती है की हमें स्वास्थ्य केंद्र में बार बार जाना पड़ता है। परन्तु ऐसा नहीं है। यदि हम ऑनलाइन तकनीक का उपयोग करे तो हमारे कई कार्य कार्य घर बैठकर हो सकते है। इसके लिए या तो हमें ऑनलाइन तकनीक की जानकारी सीखनी होगी या अपने किसी मित्र की सहायता लेनी होगी जिसे तकनीक का ज्ञान हो। सीजीएचएस स्वास्थ्य सेवा सम्बन्ध में लगभग सभी जानकारी एक टोल फ्री नंबर सीजीएचएस हेल्पलाइन नंबर 18002088900 (इसका शुल्क नहीं लगता है इसलिए बात करने में लगने वाले समय की चिंता न करे) पर प्राप्त कर सकते है।

1. प्लास्टिक कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन: वर्तमान में एक लाभार्थी सीजीएचएस कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन भर सकता है। पहले भुगतान की राशि मांग पत्र द्वारा (DD) ली जाती थी परन्तु अब भुगतान ऑनलाइन

DO NOT COPY

bharatkosh.gov.in के माध्यम से जमा करना होती है। हालाँकि ऑनलाइन भरे हुए आवेदन को डाउनलोड करना होगा और प्रिंटआउट को आवश्यक सहायक दस्तावेजों और भुगतान की रसीद के साथ सीजीएचएस कार्ड अनुभाग में जमा करना होगा। पूर्ण ऑनलाइन आवेदन यानी आवश्यक सहायक दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है और इसे जल्द ही शुरू किया जाना चाहिये।

2. अपना स्वयं का सीजीएचएस कार्ड प्रिंट करें: स्वयं और आश्रित सदस्यों के लिए एक लाभार्थी सीजीएचएस कार्ड का प्रिंट आउट लाभार्थी लॉग इन के माध्यम से ले सकता है।

3. ऑनलाइन नियुक्ति: एक लाभार्थी चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के लिए ऑनलाइन नियुक्ति बुक कर सकता है।

सीजीएचएस पोर्टल **cghs.nic.in** पर लाभार्थी लॉगिन के माध्यम से निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है:

- सदस्य स्वयं और आश्रित परिवार के सदस्यों का लाभार्थी विवरण देख सकता है।
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे की स्थिति और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के प्रसंस्करण के स्तर को इस सुविधा के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है।
- प्लास्टिक कार्ड के लिए आवेदन के प्रसंस्करण की स्थिति।

DO NOT COPY

- सदस्य स्वयं और उसके आश्रितों के पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर को अद्यतन, कर सकता है। (Updation)
- स्वयं और आश्रितों के ईमेल आईडी का अद्यतन, कर सकता है।
- स्वयं और आश्रितों का आधार नंबर का अद्यतन कर सकता है।
- स्वयं और आश्रित को जारी की गई दवाओं का इतिहास जान सकता है।
- चिकित्सा सेवाएं: ऊपर उल्लिखित इंटरैक्टिव ऑनलाइन सेवाओं के अलावा,

24x7 राष्ट्रीय सीजीएचएस हेल्पलाइन सेवा एक टोल फ्री नंबर **18002088900** पर उपलब्ध है। यह एक द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) सेवा है जो सार्वभौमिक रूप से सुलभ है (किसी भी लाभार्थी के लैंडलाइन या मोबाइल के माध्यम से)।

लाभार्थी सीजीएचएस सेवा से संबंधित सभी जानकारी इस हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

<u>हेल्पलाइन निम्नलिखित विषयों पर जानकारी प्रदान करती है</u>

- सीजीएचएस पर सामान्य जानकारी: कल्याण केंद्रों के नाम और पते और उनके समय, 24x7 कल्याण केंद्रों के पते,

DO NOT COPY

इन केंद्रों के प्रभारी सीएमओ के संपर्क विवरण, अन्य अधिकारियों के संपर्क विवरण आदि।

- सुविधाएं: सीजीएचएस लाभार्थी और उसके आश्रितों को सीजीएचएस कवर क्षेत्र और गैर सीजीएचएस क्षेत्र में रहने के लिए क्या सुविधाएं हैं ?
- सीजीएचएस पात्रता: आश्रित परिवार के सदस्यों की पात्रता शर्तों सहित सीजीएचएस सेवाओं के लिए कौन पात्र हैं ?
- सीजीएचएस पात्रता: एक लाभार्थी (सेवारत और पेंशनर) को वेतनमान / पेंशन के अनुसार क्या योगदान देना है, लाभार्थी के वार्ड पात्रता क्या है ?
- प्लास्टिक कार्ड से संबंधित: सेवारत और पेंशनभोगी लाभार्थी के लिए प्लास्टिक कार्ड बनाने, कार्ड में नामों को जोड़ने और हटाने, कार्ड की वैधता और कार्ड के हस्तांतरण, कार्ड के नुकसान आदि के लिए क्या प्रक्रिया है ?
- जीवन रक्षक दवाओं सहित दवाओं का मुद्दा: वेलनेस सेंटर, अधिकृत स्थानीय केमिस्ट, मेडिकल स्टोर डिपो से दवाओं को जारी करने की प्रक्रिया , जीवन रक्षक दवाओं को जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, आपातकालीन, स्वीकार्य और गैर-स्वीकार्य वस्तुओं में दवाएं जारी करना, लंबी अवधि के लिए दवाइयां जारी करना, इंडेंट करने की

DO NOT COPY

प्रक्रिया और वेलनेस सेंटर में उपलब्ध नहीं होने वाली दवाओं को जारी करना आदि की क्या प्रक्रिया है।

- जांच / प्रक्रियाओं के लिए अनुमति की आवश्यकता है या नहीं, अनुमति देने के लिए प्राधिकारी कौन है, अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया क्या है, अनुमति के लिए आवश्यक दस्तावेज आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- अस्पताल में भर्ती आपातकालीन स्थिति में अस्पताल में भर्ती, सीजीएचएस दरों के लिए जांच और प्रक्रियाएं, कैशलेस सुविधा के लिए पात्रता, रेफरल के लिए प्रक्रिया, अस्पताल में भर्ती के लिए अनुमति आदि। की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे(एमआरसी) के साथ जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, एमआरसी जमा करने की प्रक्रिया, एमआरसी भरने, प्रक्रिया के बारे में जानकारी के लिए रैक स्थिति किसी विशेष वस्तु / दावे आदि की प्रतिपूर्ति न करने पर दावा, स्पष्टीकरण।
- स्वास्थ्य देखभाल संगठन (HCO) के नामकरण: सीजीएचएस के पैनल पर हेल्थ केयर संगठनों के नाम, जिनके लिए सुविधाएं, अस्पताल अधिकारियों के संपर्क

DO NOT COPY

विवरण, स्वास्थ्य देखभाल संगठन की मान्यता स्थिति आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

- शिकायत निवारण तंत्र और आरटीआई मुद्दों पर मार्गदर्शन और कोई भी अन्य सीजीएचएस संबंधित जानकारी इस माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

सरकार ने हमारे लिये व्यवस्था बना रखी है। व्यवस्था का संचालन सरकारी कर्मचारी करते हैं हम और आप यदि उस व्यवस्था का उपयोग नहीं करते हैं तो व्यवस्था बिगड़ जाती है और वह काम करना बंद कर देती है। आवश्यक यह है की आवश्यकता पड़ने पर हम व्यवस्था का उपयोग करें और यदि यह ठीक काम नहीं कर रही है तो इसकी शिकायत भी अवश्य करें। जब एक शिकायत करता है तो कोई ध्यान नहीं देता यही पर दस लोग शिकायत करते हैं तो अधिकारी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

*24x7 राष्ट्रीय सीजीएचएस हेल्पलाइन सेवा एक टोल फ्री नंबर **18002088900** पर उपलब्ध है। यह एक द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) सेवा है जो सार्वभौमिक रूप से सुलभ है*

प्लास्टिक कार्ड

https://cghs.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=5747&lid=3666

समय के साथ सी जी एच एस की कार्य प्रणाली में काफी बदलाव हुए है। कुछ वर्ष पहले तक हम सीजीएचएस का लाभ सिर्फ उसी स्वास्थ्य केंद्र से ले सकते थे जहाँ से हमने कार्ड बनवाया है, परन्तु अब हम देश के किसी भी हिस्से में जहाँ कंही भी स्वास्थ्य केंद्र है इस सुविधा का लाभ ले सकते है। ऐसा सीजीएचएस की स्मार्ट कार्ड योजना द्वारा संभव हो सका है। देखते है इस कार्ड का क्या महत्व है।

1. सभी सीजीएचएस लाभार्थियों और उनके आश्रितों को व्यक्तिगत रूप से अलग अलग लाभार्थी आईडी नंबर के साथ फोटो आईडी प्लास्टिक कार्ड प्रदान किए जाते है जिन्हें सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक सेवा बिंदु पर प्रस्तुत करना होता है।

2. सीजीएचएस कार्ड की सुरक्षित अभिरक्षा लाभार्थी की जिम्मेदारी है और कार्ड के नुकसान के मामले में लाभार्थी को पुलिस और सीजीएचएस अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है।

3. डुप्लिकेट सीजीएचएस कार्ड खो जाने वाले कार्ड के खिलाफ संबंधित अतिरिक्त निदेशक के लिए एफआईआर की

एक प्रति के साथ आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिए 50 रु शुल्क जमा करना होगा।

सीजीएचएस कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया

योग्य सेवारत कर्मचारियों / पेंशनरों को निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना होगा (सीजीएचएस वेब पोर्टल www.cghs.gov.in पर और स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है)

प्रपत्र में निर्दिष्ट रूप में चिपकाई गई व्यक्तिगत तस्वीरों के साथ फॉर्म को पूरी तरह से भरा जाना चाहिए।

निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करने की आवश्यकता है:

सेवारत कर्मचारी के मामले में: -

1. निवास का प्रमाण।
2. आश्रितों के रहने का प्रमाण।
3. पुत्र की आयु का प्रमाण।
4. 25 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आश्रित पुत्र के मामले में, सक्षम प्राधिकारी से विकलांगता प्रमाण पत्र।

पेंशनरों के मामले में: -

उपरोक्त 1 से 4 के अलावा:

1. सीजीएचएस कार्ड का समर्पण प्रमाण पत्र (केवल अगर सेवा अवधि के दौरान सीजीएचएस कार्ड जारी किया गया था)।

DO NOT COPY

2. पीपीओ / अंतरिम पीपीओ / अंतिम वेतन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां (यदि पीपीओ सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद उपलब्ध नहीं है)।
3. यदि कार्ड वार्षिक नवीनीकरण के लिए है तो "भुगतान की राशि एक वर्ष के योगदान के लिए लिए होगी और कार्ड की आवश्यकता पूरे जीवन के लिए हो तो 10 साल के योगदान के बराबर राशि देनी होगी।
4. पहले भुगतान की राशि मांग पत्र द्वारा (DD) ली जाती थी परन्तु अब भुगतान ऑनलाइन bharatkosh.gov.in के माध्यम से जमा करना होता है।

<u>निर्भरता मानदंड-</u>

योजना के तहत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, माता-पिता (या महिला कर्मचारी के मामले में उसके सास ससुर), अविवाहित पुत्र 25 वर्ष की आयु तक, आश्रित अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा / अलग बेटियों और बहनों, नाबालिग भाइयों को सरकारी कर्मचारी पर आश्रित माना जाता है यदि वे सामान्य रूप से उनके साथ निवास करते हैं और मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति की ग्रेच्युटी (DCRG) लाभ के बराबर पेंशन सहित सभी स्रोतों से उनकी आय 9000 + डीए प्रति माह रुपयों से कम है। । यह मानदंड पति / पत्नी और

विकलांग पुत्र पर लागू नहीं होता है (कृपया सीजीएचएस कार्ड भरने के निर्देशों में विकलांगता की परिभाषा देखें)

<u>निवेदन की प्रणाली</u> ; -

सेवा में रहने वाले कर्मचारियों के मामले में विभाग द्वारा समर्थन के बाद आवेदन जमा किया जाता है। पेंशनरों के मामले में दिल्ली में परिक्षेत्रों के साथ आवेदन को अपर निर्देशक(मुख्यालय) और संबंधित शहर के अतिरिक्त निर्देशक के पास जमा किया जाता है।

<u>सेवा में रहते हुए पेंशनभोगी सीजीएचएस कार्ड बनाने का प्रावधान:</u> -

एक सेवारत कर्मचारी अपने पेंशन कागजात के साथ एक पेंशनभोगी सीजीएचएस कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। संलग्न-पत्रादि (Enclosure) और bharatkosh.govt.in के माध्यम से भुगतान करने की रसीद के साथ आवेदन कर्मचारी के कार्यालय के माध्यम से सीजीएचएस को भेजा जाना है। पेंशनर कार्ड सेवानिवृत्ति के दिन जारी किया जाएगा (बशर्ते सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम छह सप्ताह पहले इसे लागू किया जाए) और अगले दिन सक्रिय हो जाएगा।

DO NOT COPY

सीजीएचएस कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन

कार्ड को सीजीएचएस वेब पोर्टल www.cghs.nic.in या सीजीएचएस वेबसाइट www.cghs.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वर्तमान में सहायक दस्तावेज अपलोड करने के प्रावधान के लिए उपलब्ध नहीं है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, आवेदक को आवेदन का एक प्रिंट आउट लेना होगा और उसे सहायक दस्तावेजों के साथ (सेवारत कर्मचारियों के मामले में विभाग / कार्यालय प्रमुख द्वारा समर्थित) अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय के कार्यालय में दिल्ली में या अन्य शहरों में अतिरिक्त निदेशक के पास जमा करना होगा।

सीजीएचएस कार्ड में नामों का जोड़ / विलोपन

मुख्य कार्ड धारक की मृत्यु पर, कार्ड अमान्य हो जाता है और पति / पत्नी द्वारा पारिवारिक पेंशन का आहरण शुरू करने के बाद पति या पत्नी के लिए नए कार्ड को लागू करना पड़ता है। पुराने सीजीएचएस कार्ड और डेथ सर्टिफिकेट को आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

शादी पर या अपने बच्चे के जन्म पर एक सेवारत कर्मचारी को अपने विभाग द्वारा समर्थन के साथ नाम जोड़ने के लिए फार्म जमा फार्म जमा करना होता है। उनके लिए अतिरिक्त नए कार्ड उनके नामों के साथ जारी किये जाते है।

मुख्य कार्ड धारक की जिम्मेदारी है कि पति / पत्नी की मृत्यु अथवा पुत्र / पुत्री / आश्रित के विवाह अथवा रोजगार के बाद वह कार्ड के आवश्यक विलोपन के लिए सीजीएचएस को सूचित करे।

<u>सीजीएचएस कार्ड की वैधता</u>

सेवा कार्ड यदि कर्मचारी पात्र है तो सेवानिवृत्ति की तारीख तक मान्य होगा ।

पेंशनर कार्ड के वार्षिक योगदान के मामले में, वैधता जारी रखने के लिए योगदान जारी वर्ष पूरा होने से पहले किया जाना है। गैर-सीजीएचएस कवर क्षेत्र में सेवारत कर्मचारी के स्थानांतरण के मामले में सेवा कार्ड छह महीने तक परिवार के सदस्यों के लिए मान्य होगा, बशर्ते कि सीजीएचएस योगदान 6 महीने के लिए पहले किया गया है।

सीजीएचएस कार्ड सभी सीजीएचएस शहरों में उपचार / जांच / अस्पताल में भर्ती के लिए मान्य है। "जीवन रक्षक" / प्रतिबंधित आपूर्ति दवाओं के रूप में वर्गीकृत उच्च मूल्य वाली दवाओं को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य सीजीएचएस शहर में उपचार प्राप्त करने के लिए पारगमन अनुज्ञा-पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए एक कल्याण केंद्र के लिए अस्थायी अटैचमेंट की आवश्यकता होती है।

<u>सीजीएचएस कार्ड का स्थानांतरण</u>

DO NOT COPY

एक शहर में एक विभाग / मंत्रालय से दूसरे में स्थानांतरित किए जाने वाले सीजीएचएस लाभार्थी की सेवा के मामले में, वही सीजीएचएस कार्ड जारी रहेगा। नया विभाग / मंत्रालय सीजीएचएस को विधिवत सूचित करेगा ताकि कर्मचारी के डेटाबेस में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकें।

एक सेवारत सीजीएचएस लाभार्थी को एक सीजीएचएस कवर शहर से दूसरे में स्थानांतरित करने के मामले में, फिर से वही सीजीएचएस कार्ड जारी रहेगा। कर्मचारी अपने वर्तमान सीजीएचएस शहर के अतिरिक्त निदेशक को पोस्टिंग के नए शहर में कार्ड के हस्तांतरण के आदेश के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। कार्ड को ऑनलाइन पोस्टिंग के नए शहर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उसके बाद नए शहर में शामिल होने के बाद, वह अपने कार्ड को मान्य करने के लिए उस सीजीएचएस शहर के अतिरिक्त निदेशक को सहायक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

<u>सीजीएचएस शहरों के बाहर रहने वाले पेंशनरों के लिए सीजीएचएस कार्ड</u>

सीजीएचएस कवर क्षेत्र के बाहर रहने वाले पेंशनभोगी नियमित रूप से सीजीएचएस कार्ड या आईपीडी (इंडोर उपचार) सीजीएचएस कार्ड के लिए पास के सीजीएचएस शहर से निर्धारित चिकित्सा भत्ता (ओपीडी उपचार के बदले में) का

DO NOT COPY

विकल्प चुन सकते हैं। आईपीडी कार्ड धारक ओपीडी उपचार और सीजीएचएस स्वास्थ्य केंद्र से दवा जारी करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

<u>सीजीएचएस कार्ड की स्व प्रिंटिंग</u>

जैसे ही सीजीएचएस कार्ड के लिए आवेदन सीजीएचएस कार्ड सेक्शन में स्वीकार किया जाता है, आवेदक को एक स्वीकारोक्ति पत्र जारी किया जाता है जिसमें कार्ड नंबर और सभी परिवार के सदस्यों की बेन आईडी होती है। कार्ड धारक के मूल स्वास्थ्य केंद्र में आवेदन के एक महीने बाद प्लास्टिक कार्ड उपलब्ध होते हैं। इस बीच स्वास्थ्य केंद्र से सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए स्वीकारोक्ति पत्र का उपयोग किया जा सकता है।

<u>अपनी खुद का कार्ड ऑनलाइन सुविधा प्रिंट करें</u>

एक लाभार्थी स्वयं और उसके आश्रित के कार्ड को लाभार्थी लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन प्रिंट कर सकता है। यह ई-सीजीएचएस कार्ड प्लास्टिक कार्ड के बराबर है। पीडीएफ प्रारूप में कार्ड डाउनलोड करने के बाद लाभार्थी रंगीन प्रिंट आउट ले सकता है और इसे आगे उपयोग के लिए परतबंद (Laminate) कर सकता है।

लाभार्थी निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके अपने परिवार के सदस्यों के कार्ड प्रिंट कर सकता है

DO NOT COPY

• सीजीएचएस पोर्टल cghs.nic.in पर जाएं

• लाभार्थी लॉगिन पर क्लिक करें

• अपना बेन आईडी, पासवर्ड और साइन इन करें

• उस लाभार्थी के लिए प्रिंट कार्ड पर क्लिक करें, जिसके कार्ड को प्रिंट करने की आवश्यकता है

• अपने पंजीकृत मोबाइल पर भेजे गए वनटाइम पासवर्ड को दर्ज करें

• प्रिंट सीजीएचएस कार्ड पर क्लिक करें

• स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देता है जो रंगीन प्रिंट आउट लेने और कार्ड को परतबंद (laminate) करने का अनुरोध करता है। ओके पर क्लिक करें

• पीडीएफ प्रारूप में सीजीएचएस कार्ड डाउनलोड करे या खोलें

• नियंत्रण पी कमांड का उपयोग करके सीजीएचएस कार्ड कार्ड प्रिंट करें

एक लाभार्थी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ई सीजीएचएस कार्ड का उपयोग कर सकता है। यदि आवश्यक हो, तो लाभार्थी आईडी नंबर का उपयोग करके कंप्यूटर डेटाबेस के माध्यम से एचसीओ द्वारा लाभार्थियों की साख को सत्यापित किया जा सकता

DO NOT COPY

दवाओं की आपूर्ति

सीजीएचएस लाभार्थी की सबसे ज्यादा शिकायत दवाओं की आपूर्ति को लेकर है। इनमे से कुछ शिकायत उचित है परन्तु कुछ पर विचार करना आवश्यक है। पहली शिकायत है जो दवा विशेषज्ञ लिख कर देता है वह नहीं दी जाती है परन्तु सामान्य (जेनेरिक) मेडिसिन्स दी जाती है. जो असरदार नहीं होती है । चिकित्सा पेशेवरों ने इस भ्रम को जोड़ा है कि वे प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा बनाई गई दवाओं पर भरोसा करते हैं। इस बारे में मैंने गूगल पर सर्च करने पर यह जानकारी प्राप्त हुई।

हितधारकों, प्रिस्क्राइबरों, फार्मास्युटिकल ट्रेडिंग एजेंसियों और नीति निर्माताओं के बीच जेनेरिक दवाओं के बारे में भ्रम और गलत सूचनाओं ने रोगियों में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। भारत में मेडिसिन जेनेरिक 'शब्द उन दवाओं को दर्शाता है जो एक जेनेरिक नाम के तहत विपणन की जाती हैं। फिर एक और शब्द है, जिसे ब्रांडेड जेनरिक 'कहा जाता है, जो अब पेटेंट से दूर हैं और कंपनियों द्वारा ब्रांड नाम के तहत बेची जाती हैं, यह भारतीय दवा बाजार में लगभग सभी दवाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

जबकि फार्मेसी काउंटर पर आपको मिलने वाली गोलियां ब्रांड से थोड़ी अलग दिख सकती हैं, जेनेरिक दवाएं महंगे ब्रांड

DO NOT COPY

नाम वाले उत्पादों के समान ही काम करती हैं। उनके पास समान सक्रिय तत्व हैं, और विनिर्माण और पैकेजिंग को समान गुणवत्ता मानकों को पारित करना होगा।

हाल के एक अध्ययन में पाया गया कि कई ब्रांडेड दवाओं के लिए भारत का व्यापार मार्जिन 200% से 2000% से अधिक है। जेनेरिक और ब्रांड नाम के पर्चे वाली दवाओं के बीच लागत मुख्य अंतर है। ब्रांड कंपनियों के विपरीत, सामान्य निर्माता सीधे कीमत पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम होती हैं।

अतः हमें जेनेरिक दवाओं को लेने से घबराना नहीं चाहिये पर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये की विशेषज्ञ द्वारा दी गई दवा व् स्वास्थ्य केंद्र द्वारा दी गई दवा का जेनेरिक नाम एक ही है। इसके लिए आवश्यक यह है की जब कभी हम सीजीएचएस सूचीबद्ध अस्पताल जाते है तब डॉक्टर से अनुरोध करे की वह ब्रांड नाम के साथ साथ जेनेरिक नाम भी लिख दें। भारत सरकार द्वारा कानून के तहत यह अनिवार्य कर दिया है जिसका कई अस्पताल पालन भी करते है।

दूसरी शिकायत है की हमें मांगपत्र द्वारा खरीद गई दवाये लेने के लिए दूसरी बार अस्पताल जाना पड़ता है। इसलिए हमें दवाये बाजार से खरीदने की अनुमति दी जाये। शिकायत सही है पर समाधान का यह विकल्प संभव नही

लगता है। है। पहला कारण है बाजार में दवा बहुत महगे दामों पर मिलती है इससे सरकार को हानि होगी। अस्पताल यह दवाइयां बाजार की तुलना में लगभग आधे दाम पर खरीदता है। यदि सरकार अनुमति दे भी देती है तो हमें भुगतान की लिए कई चक्कर काटने पड़ेगे और भुगतान भी खर्च किये गए पैसे से कम होगा। समस्या के समाधान के लिए हमें दूसरे विकल्प तलाशने होंगे । एक समाधान यह हो सकता है की दवा पूर्ति करने वाले की दुकान अस्पताल की परिसर में हो ताकि मांगपत्र द्वारा मिलने वाली दवा तुरंत मिल जाये । दूसरा विकल्प यह हो सकता है की मांगपत्र की दवा लाभार्थी को उसके घर डाक द्वारा भेज दी जाय। अगर निविदाएं ऑनलाइन आपूर्तिकर्ताओं को दी जाएं तो यह संभव है। समस्या का समाधान संभव है पर इसके लिये हमें अधिकारीयों के साथ निरंतर चर्चा करनी होगी।

दवाओं की आपूर्ति

https://cghs.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=6043&lid=3971

https://cghs.gov.in/index1.php?lang=1&level=2&sublinkid=6044&lid=3954

https://cghs.gov.in/index1.php?lang=1&level=2&sublinkid=6045&lid=3972

https://cghs.gov.in/index1.php?lang=1&level=2&sublinkid=6046&lid=3667

DO NOT COPY

दवाओं की आपूर्ति तीन प्रकार से की जाती है।

- स्वास्थ्य केंद्रों से दवाओं की आपूर्ति
- लाभार्थियों को दवाएं खरीदने के लिए अधिकृत करना
- प्रतिबंधित दवाओं का आपूर्ति

<u>स्वास्थ्य केंद्रों से दवाओं की आपूर्ति</u>

• सीजीएचएस डॉक्टरों / विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित दवाएं, जो वेलनेस सेंटर में उपलब्ध हैं, तुरंत आपूर्ति की जाती हैं।

• विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित ब्रांडेड दवाओं के लिए, यदि एक ही रचना (generic name), एक ही चिकित्सीय मूल्य के साथ, समान शक्ति वाली वेलनेस सेंटर में विभिन्न ब्रांड नाम / जेनेरिक नाम में उपलब्ध है, तो उसी को पर्चे के खिलाफ आपूर्ति की जाती है।

• विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विटामिन / खनिज / एंटीऑक्सीडेंट की आपूर्ति सीजीएचएस सूत्र-समूह दवाओं तक सीमित रहेगी।

• आहार पूरक / खाद्य पदार्थों, सौंदर्य प्रसाधन आदि के रूप में वर्गीकृत उत्पाद सीजीएचएस द्वारा आपूर्ति के लिए स्वीकार्य नहीं हैं।

DO NOT COPY

• जो दवाएं अन्यथा स्वीकार्य हैं और स्वास्थ्य केंद्रों के स्टोर में उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट (ALC) से मांगपत्र (इंडेंट) दिया जाता है और प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट से प्राप्त होने के बाद अगले कार्य दिवस पर सामान्य रूप से वितरित किया जाता है। इन मांगपत्र द्वारा प्राप्त दवाइयों को लाभार्थी द्वारा मांगपत्र की अधिकतम 15 दिनों के भीतर लेना होगा।

• किसी भी सीजीएचएस डॉक्टर द्वारा किसी विशेषज्ञ के वैध पर्चे के अनुरूप पुरानी बीमारियों की दवाएं एक महीने से तीन महीने तक के लिए जारी की जा सकती हैं।

• यदि लाभार्थी विदेश जाने की योजना बना रहा है, तो निर्धारित समय में 6 महीने तक की दवाइयाँ जारी की जा सकती हैं। लाभार्थी को वैध पर्चे की प्रतिलिपि, सीजीएचएस कार्ड और यात्रा के प्रमाण के साथ एक आवेदन निदेशक को दिया जाना चाहिये।

• प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट के द्वारा आपूर्ति की गई दवाओं सहित सभी दवाएं स्वास्थ्य केंद्रों के ड्यूटी घंटों के दौरान दी जाएंगी।

• स्वास्थ्य केंद्रों में इंडेंटेड दवाओं के पंजीकरण के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

DO NOT COPY

लाभार्थियों को दवाएं खरीदने के लिए अधिकृत करना

कभी कभी लाभार्थी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दवाइयां बाजार से खरीदने के लिए अधिकृत किया जाता है और बाद में उसे दवाइयों के मूल्य का भुगतान किया जा सकता है, ऐसा तब किया जा सकता है जब इस तरह की दवा को जारी किए गए प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट प्राधिकरण स्लिप से मांगपत्र दिया गया है और दवा की आपूर्ति प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट द्वारा नहीं की गई है परन्तु इसके लिए निम्न प्रक्रिया का अनुपालन करना होता है ।

- लाभार्थी को किसी भी केमिस्ट शॉप से निर्धारित दवा खरीदनी होगी और स्वास्थ्य केंद्र में कैश मेमो के साथ दवाओं को दिखाना होगा ।
- एक निर्धारित फॉर्म भरकर उस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का समर्थन लेना होगा।
- इसे प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट को कैश मेमो के साथ जमा करें, जो लाभार्थी द्वारा खर्च की गई दवाओं की लागत का भुगतान करेगा।

जब इनडोर इलाज के लिए सीजीएचएस लाभार्थी को भर्ती किया जाता है, तो सीजीएचएस लाभार्थी के निर्वहन पर 7 दिनों के लिए सूचीबद्ध अस्पताल आवश्यक दवाओं की आपूर्ति करेगा।

प्रतिबंधित दवाओं का जारी होना

प्रतिबंधित दवाओं में कैंसर और अन्य दवाओं के लिए कीमोथेरेपी दवाएं शामिल हैं, जो सीजीएचएस की "प्रतिबंधित दवाओं" सूची में शामिल हैं। यह सूची परिपत्रों के तहत उपलब्ध है। जब कैंसर और अन्य ऐसी स्थितियों के लिए दवाएं निर्धारित की जाती हैं तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए: -

1. विशेषज्ञ पर्चे पर प्रतिबंधित दवाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र से शहर के एमएसडी अपर निदेशक के लिए एक प्राधिकरण पर्ची जारी की जाएगी।

2. यह अधिकार पत्र निम्नलिखित (सीएमओ/प्रभारी द्वारा सभी विधिवत रूप से सत्यापित) दस्तावेजों के साथ एमएसडी / एडी कार्यालय में जमा किया जाना है।

- सीएमओ/प्रभारी द्वारा अग्रेषित अपर निदेशक के लिए आवेदन
- प्रतिबंधित दवाओं को दर्शाने वाले विशेषज्ञ पर्चे / डिस्चार्ज सारांश (आपातकालीन मामलों) की प्रतिलिपि
- जांच रिपोर्ट की प्रतियां
- सीजीएचएस मान्यता प्राप्त अस्पताल (Recognized) में उपचार के लिए अनुमति पत्र

DO NOT COPY

- सीजीएचएस कार्ड की फोटोकॉपी
- दवा (Medicines) यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट (यह तब आवश्यक होता है, जब वही दवाएं पहले भी जारी की जा चुकी हों। मौखिक रूप से प्रशासित दवाओं के मामले में प्रमाण-पत्र लाभार्थी द्वारा स्वयं दिया जा सकता है और सीएमओ/प्रभारी से और उपचार विशेषज्ञ से प्रशासित अभिभावक प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक है।
- जो भी व्यक्ति (यदि स्वयं लाभार्थी नहीं है), जो इन दवाओं को लेने जाता है, को प्राधिकरण पत्र, मूल सीजीएचएस कार्ड और उसकी फोटो प्रति ले जाना होगा।

• विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित ब्रांडेड दवाओं के लिए, यदि एक ही रचना (generic name), एक ही चिकित्सीय मूल्य के साथ, समान शक्ति वाली वेलनेस सेंटर में विभिन्न ब्रांड नाम / जेनेरिक नाम में उपलब्ध है, तो उसी को पर्चे के खिलाफ आपूर्ति की जाती है।

रेफरल के लिए प्रक्रिया

https://cghs.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=5751&lid=3671

सीजीएचएस स्वास्थ्य केन्द्रो में सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी और एक प्रमुख चिकत्सा अधिकारी के साथ कही कही विशेषज्ञ, की नियुक्ति होती है। परन्तु अधिकतर केन्द्रो पर नेत्र रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला विशेषज्ञ, ह्रदय रोग विशेषज्ञ, आदि की नियुक्ति नहीं होती है। जिन लाभार्थी को गंभीर रोगो के इलाज की आवश्यकता होती है उन्हें स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीजीएचएस मान्यता प्राप्त अस्पताल (Recognized) में उपचार के लिए अथवा विशेषज्ञ की सलाह के लिए अनुमति पत्र देता है। इसे अंग्रेजी में रेफेरल कहते है।

• सभी सीजीएचएस शहरों में लाभार्थी किसी भी रेफरल की आवश्यकता के बिना किसी भी सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञों से ओपीडी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

• 75 वर्ष से कम आयु के सभी सीजीएचएस शहरों में रहने वाले लाभार्थी मेडिकल ऑफिसर या कल्याण केंद्रों के सीएमओ प्रभारी द्वारा निर्दिष्ट किए जाने के बाद सीजीएचएस के किसी भी अस्पताल में विशेषज्ञ से ओपीडी परामर्श ले सकते हैं। रेफरल एक महीने के लिए और तीन ओपीडी परामर्श के लिए वैध है। लाभार्थी को संबंधित कल्याण केंद्र को रिपोर्ट करना

DO NOT COPY

आवश्यक है और चिकित्सा अधिकारी या सीएमओ प्रभारी दिशानिर्देशों के अनुसार जांच जारी करेंगे और दवा जारी करेंगे।

- 75 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी सीधे सीजीएचएस के चिकित्सा अधिकारी से किसी भी रेफरल के बिना सीजीएचएस मान्यता प्राप्त अस्पताल में ओपीडी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में यदि किसी जांच या प्रक्रिया की सलाह दी जाती है या आवश्यकता होती है, तो सीजीएचएस के चिकित्सा अधिकारी से कोई अतिरिक्त अनुमति या समर्थन की आवश्यकता नहीं है।

जांच और उपचार प्रक्रिया

https://cghs.gov.in/showfile.php?lid=4944

जांच / उपचार प्रक्रियाओं की अनुमति:

जाँच और उपचार के दो प्रकार हैं सूचीबद्ध और *असूचीबद्ध* । सीजीएचएस ने सामान्य रूप से आवश्यक होने वाली जाँच प्रक्रियाओं की एक सूची तैयार की है ये सूचीबद्ध जाँच प्रक्रियांओं के अंतर्गत आती हैं। इनके अतरिक्त सभी जाँच प्रक्रियाएं *असूचीबद्ध* मानी जाती हैं।

• सीजीएचएस के चिकित्सा अधिकारी / सीएमओ प्रभारी या सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित किए जाने पर, सीजीएचएस सूचीबद्ध डायग्नोस्टिक केंद्रों / अस्पतालों में सूचीबद्ध जांच / उपचार प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

• सूचीबद्ध अस्पताल / प्रसूति अस्पताल के एक विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को संदर्भित सीजीएचएस मेडिकल अधिकारी / सीएमओ इंचार्ज द्वारा पृष्ठांकित करने की आवश्यकता है, हालांकि इस मामले में भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

• असूचीबद्ध जांच / उपचार प्रक्रिया के लिए सेवारत कर्मचारियों के मामले में विभागाध्यक्ष और पेंशनरों के मामले

DO NOT COPY

में शहर / क्षेत्र के अपर निदेशक से अनुमति आवश्यक है। हालाँकि स्वायत्त निकायों के पेंशनरों के लिए अनुमति संबंधित विभाग द्वारा ही दी जानी है।

प्राधिकृत अस्पताल और नैदानिक केंद्र(Diagnostic center) द्वारा जांच करवाने की प्रक्रिया के लिए के लिए अस्पताल के विशेषज्ञ के पर्चे को ,जिसमें जांच का उल्लेख है, वेलनेस सेंटर के सीएमओ के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। सीएमओ उस पर स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत हैं। इस स्वीकृति के आधार पर प्राधिकृत अस्पताल सम्बंधित जांच करते हैं। सलाह के 30 दिनों के भीतर जांच की जा सकती है।प्राधिकृत अस्पताल में इलाज और नैदानिक केंद्र(Diagnostic center)/ अस्पताल द्वारा जांच करवाने की प्रक्रिया के लिए के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करना आवश्यक है:

1. सीजीएचएस डॉक्टर / सरकारी विशेषज्ञ के पर्चे की स्वप्रमाणित प्रति

2. मरीज और मुख्य कार्ड धारक के सीजीएचएस कार्ड की कॉपी।

3. मूल पर्चे और मूल कार्ड सत्यापन के लिए केंद्र में दिखाने होंगे।

DO NOT COPY

अस्पताल में भर्ती और इलाज

https://cghs.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=6030&lid=3953

सीजीएचएस के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर इलाज करने की सुविधा नहीं है जब ऐसी आवश्यकता होती है तब स्वास्थ्य केंद्र रोगी को किसी सरकारी अस्पताल अथवा सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करने की सलाह देते है। इस विषय पर सीजीएचएस के नियम निम्नानुसार है।

आपातकालीन स्थिति में अस्पताल में भर्ती

- आपातकालीन स्थिति में सीजीएचएस लाभार्थी को किसी भी सरकारी / निजी अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है, लेकिन प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं दरों के अनुसार होगी। हालाँकि पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिये तकनीकी स्थायी समिति की सिफारिशों पर विशिष्ट मामलों में अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, यदि प्रतिपूर्ति की आवश्यकता होती है, तो निजी अस्पताल को प्रवेश के समय रोगी की स्थिति के बारे में विस्तार से बताते हुए एक आपातकालीन प्रमाण पत्र जारी करना पड़ता है जो कि आपातकालीन स्थिति को उचित ठहराता है

(OM नंबर 4-18 / 2005- C & P- [Vol1 (Pt 1)] दिनांक 20/2/2009)

DO NOT COPY

- सीजीएचएस प्राधिकृत अस्पताल आपातकालीन स्थिति में सीजीएचएस लाभार्थी को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते हैं और पेंशनभोगी लाभार्थियों और अन्य हकदार श्रेणियों को नगदीहीन सेवा प्रदान करना होगा (भले ही लाभार्थी सीजीएचएस शहर / अन्य सीजीएचएस शहर के बाहर से हो)

<u>सीजीएचएस प्राधिकृत अस्पताल में इनडोर उपचार के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु</u>

- जब एक उपचारित प्रक्रिया एक अस्पताल में की जाती है, तो इसमें संबंधित पूर्व ऑपरेशन जांच, दो पूर्व सेशन और दो पोस्ट ऑपरेशन परामर्श, पात्रता के अनुसार कमरे का शुल्क, दवाएं और प्रवेश अवधि के दौरान ऐसी सभी सुविधाएं शामिल हैं। पैकेज दरों के अलावा सीजीएचएस अधिकतम निर्धारित दर और इलाज (या वास्तविक जो भी कम हो) के अनुसार प्रत्यारोपण / ग्राफ्ट / स्टेंट की लागत प्रतिपूर्ति योग्य है।

- इनडोर उपचार के मामले में, पेंशनभोगी (और लाभार्थी की अन्य हकदार श्रेणी) को अस्पताल द्वारा नगदीहीन सेवा सुविधा प्रदान की जा सकती है। सेवारत कर्मचारी के मामले

में उससे केवल सीजीएचएस दरों के अनुसार शुल्क लिया जाता है।

- अस्पताल द्वारा लाभार्थी से पैकेज दर / दर से अधिक की कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी. जब लाभार्थी इम्प्लांट के लिए सीजीएचएस के अलावा अन्य महंगे इम्प्लांट / डिवाइस का चयन करता है, उस स्थिति में लाभार्थी से लिखित सहमति अस्पताल द्वारा लेनी होती है। यह अतिरिक्त राशि लाभार्थी को नहीं दी जाएगी।

जब एक उपचारित प्रक्रिया एक अस्पताल में की जाती है, तो इसमें संबंधित पूर्व ऑपरेशन जांच, दो पूर्व सेशन और दो पोस्ट ऑपरेशन परामर्श, पात्रता के अनुसार कमरे का शुल्क, दवाएं और प्रवेश अवधि के दौरान ऐसी सभी सुविधाएं शामिल हैं।

DO NOT COPY

चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति

https://cghs.gov.in/showfile.php?lid=5116

पेंशनभोगी लाभार्थियों और सीजीएचएस कर्मचारियों द्वारा दावा प्रस्तुत करना और प्राप्ति सूचना

- असंबद्ध अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में उपचार के दौरान अथवा असंबद्ध अस्पताल में इलाज के लिए किए गए खर्च के मामले में, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा (MRC) लाभार्थी द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत करना होगा।

- जो कर्मचारी सरकारी सेवा में है उन्हें भुगतान का दावा अपने कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा । पेंशनभोगी लाभार्थी द्वारा अस्पताल से छुट्टी के 3 महीने के भीतर सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के सीएमओ / प्रभारी (जहां सीजीएचएस कार्ड पंजीकृत है) को दावा प्रस्तुत करना होगा । 3 महीने से अधिक का दावा प्रस्तुत करने में देरी के मामले में, लाभ को सही ठहराने वाले कारणों को लाभार्थी द्वारा एक अग्रेषण पत्र में बताया जाना चाहिए।

- *दावा सीजीएचएस उस वेलनेस सेंटर में प्रस्तुत किया जाना है जहां लाभार्थी पंजीकृत है। जाँच सूची के अनुसार*

DO NOT COPY

सत्यापन करने पर यदि दावा सभी दस्तावेजों के साथ पूर्ण पाया जाता है तो वेलनेस सेंटर के कंप्यूटर मॉड्यूल में एक दावा संख्या के साथ एक प्राप्ति सूचना दी जाएगी।

- *दावे की स्थिति सीजीएचएस कंप्यूटर मॉड्यूल में दावा संख्या का उपयोग करके देखी जा सकती है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के प्रसंस्करण के दौरान के प्रत्येक चरण में लाभार्थियों को एसएमएस भेजा जाएगा।*

- दावों के विवरण जो एक महीने से अधिक पुराने हैं, अब सीजीएचएस वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जायेंगे।

कृपया चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति के लिए दस्तावेज जमा करने के लिए नीचे दी गई विस्तृत जाँच सूची देखें:

<u>चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के लिए चेक लिस्ट</u>

हर दावे के लिए कृपया नीचे दिए गए अनुक्रम में स्वप्रमाणित दस्तावेज पेज नंबरिंग के साथसंलग्न करें

1 कंप्यूटर जनित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा संख्या

_2 मुख्य कार्ड धारक द्वारा हस्ताक्षरित सीएमओ / प्रभारी द्वारा अग्रेषित किया गया स्व-व्याख्यात्मक पत्र- संलग्न करें। इस पत्र में विस्तृत अनुक्रम और गैर-सूचीबद्ध अस्पताल अस्पताल में जाने का कारण का औचित्य और

DO NOT COPY

निर्वहन / उपचार की तारीख से 90 दिनों से अधिक समय तक जमा करने में देरी के मामले में देरी का कारण स्पष्ट रूप से संक्षेपण का उल्लेख किया जाना चाहिए।अगर दावेदार हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं है, तो महिलाओं के दाहिने अंगूठे के निशान और पुरुषों के मामले में बाएं अंगूठे के निशान को हस्ताक्षर के स्थान पर रखा जा सकता है। यदि चिकित्सकीय रूप से हस्ताक्षर करने के लिए अयोग्य है, तो विकलांगता के संबंध में चिकित्सक से एक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

3 सीएमओ / प्रभारी द्वारा विधिवत सत्यापित की गई दावेदार और रोगी के कार्ड (smart card) की 1 फोटो प्रति संलग्न करें।

4 मेडिकल रिइम्बर्समेंट क्लेम फॉर्म एमआरसी (एस) सेवारत के लिए और पेंशनभोगी के लिए एमआरसी (पी) [cghs.gov.in लिंक के तहत डाउनलोड पर उपलब्ध] भरा फॉर्म दावेदार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित जाना है। कार्ड धारक की मृत्यु के मामले में मुख्य कार्ड धारक / दावेदार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। कृपया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करें।

DO NOT COPY

5 ई भुगतान के लिए जनादेश - निम्नलिखित में से किसी एक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

- मुख्य कार्ड धारक / दावेदार (के मुख्य कार्ड धारक की मृत्यु के मामले में) रद्द किया गया चेक. इस चेक पर मुख्य कार्ड धारक अथवा दावेदार का नाम प्रिंट किया हुआ होना चाहिए।

अथवा

- मुख्य कार्ड धारक / दावेदार (मुख्य कार्ड धारक की मृत्यु के मामले में) के नाम के साथ खाता संख्या दिखाने वाली पासबुक की प्रति

अथवा

- अगर चेक पर मुख्य कार्ड धारक / दावेदार का नाम मौजूद नहीं है तो जनादेश प्रपत्र जिसे संबंधित बैंक द्वारा सत्यापित किया गया है

6 मूल अनुमति पत्र / मूल आपातकालीन प्रमाण पत्र।

7 डिस्चार्ज सारांश मूल / कॉपी में

8 जहां भी यह लागू होता है, विशेषज्ञ की सलाह / सलाह से रेफरल की प्रतिलिपि।

9 मूल में अंतिम संयुक्त बिल।

10 अस्पताल के बिल की मूल या प्रतिलिपि (अंतरिम बिल मान्य नहीं है।

11 अस्पताल / फार्मेसी को भुगतान की गई कुल राशि के मूल रसीद .

कृपया ध्यान दें:

(क) प्रत्यारोपण / उपकरणों के मामले में आवश्यक इनवॉइस बैच संख्या और डिवाइस / प्रत्यारोपण के विनिर्देशों को निर्दिष्ट करता है

(ख) यदि मूल के स्थान पर 'डुप्लीकेट' रसीद संलग्न है, तो एमआरसी के लिए खोई हुई रसीदों के बारे में हलफनामा प्रस्तुत करना होगा।

12 कुल प्राप्त राशि दिखाने वाले रसीद संख्या / बिल संख्या के साथ चिकित्सा दावे में संलग्न सभी रसीदों / बिलों की सूची।

13 क्या कोई अग्रिम धनराशि ली गई है हाँ या नहीं में उत्तर दें।

यदि अग्रिम धनराशि ली गई है तो अस्पताल से उपयोग प्रमाण पत्र कि अग्रिम राशि का उपयोग किया गया है।

DO NOT COPY

<u>लाभार्थी कृपया ध्यान दें:</u>

* ऊपर दिए गए अनुक्रम में अपने एमआरसी के सभी पृष्ठों की संख्या
* मूल दावे की 1 फोटोकॉपी बनाएं
* 1 सेट को रिकॉर्ड के रूप में अपने साथ रखें और मूल एमआरसी को सभी सलग्न दस्तावेजों के साथ वेलनेस सेंटर में जमा करें
* यदि किसी आपत्ति को मंजूरी देने के बाद दावा वापस किया जा रहा है तो नए दस्तावेजों की एक प्रति पुनः जमा करें

<u>विशेष मामलों के लिए एमआरसी के लिए चेक सूची</u>

पेज नंबरिंग के साथ नीचे दिए गए अनुक्रम में स्वप्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें -

1 यदि मूल बिल खो गया है (मेडिकल क्लेम फॉर्म (एस) या (पी) के अनुसार) •

- एमआरसी फॉर्म के अनुबंध I के अनुसार खोए हुए दस्तावेज के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ पत्र।
- उपरोक्त सभी कागज़ात की फोटोकॉपी विधिवत इलाज करने वाले विशेषज्ञ के द्वारा सत्यापित की जाती है।

2 ऐसे मामलों के लिए जहां आंशिक ऋण दिया जाता है:

- अस्पताल का पूरा बिल ब्रेक अप के साथ
- जिन मदों के लिए क्रेडिट नहीं दिया गया था, उनके लिए अस्पताल अलग से बिल

3 **कार्ड धारक की मृत्यु के मामले में कृपया ध्यान दें:**

क) मुख्य कार्ड धारक (पेंशनभोगी) की मृत्यु पर पति या पत्नी जो भी जीवित हो दावे के हक़दार है चाहे भुगतान किसी ने भी किया हो। (प्रतिपूर्ति के लिए मेडिकल क्लेम डालने से पहले पारिवारिक पेंशनर कार्ड जारी करना उचित होगा)।

ख) पारिवारिक पेंशनभोगी (पति या पत्नी) की मृत्यु पर जीवित बच्चों में से कोई भी प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है बशर्ते कि वह एक हलफनामा दे कि वह कानूनी वारिस है और अन्य वारिसों को अलग से हलफनामा देना होगा की कि उन्हें वारिस को प्रतिपूर्ति देने पर कोई आपत्ति नहीं है। (एमआरसी फॉर्म के अनुबंध II के अनुसार)।

ग) यदि पेंशनर की मृत्यु, हो जाती है और उसकी पत्नी या बच्चे जीवित नहीं है ऐसी अवस्था में कानूनी

DO NOT COPY

उत्तराधिकारी दावा पेश कर सकता है परन्तु उसे न्यायालय द्वारा जारी किया गया उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिखाना होगा और प्रमाण के साथ यह भी सिद्ध करना होगा की अस्पताल को भुगतान उसके द्वारा किया गया है।

<u>मृत्यु मामलों में संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:</u>

- दावेदार द्वारा गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ पत्र (एमआरसी फॉर्म के अनुबंध II के अनुसार)

- प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग सभी कानूनी उत्तराधिकारियों से एनओसी।

- मृत्यु प्रमाणपत्र।
- अस्पताल से मृत्यु कारणो की प्रति।
- उन मामलों में पिता के नाम के साथ दावेदार का आईडी प्रूफ जहां मुख्य कार्ड धारक और पति / पत्नी दोनों की समय सीमा समाप्त हो गई है
- न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जहाँ भी आवश्यक हो (ऊपर देखें)

मूल एमआरसी को सभी सलग्न दस्तावेजों के साथ 1 सेट वेलनेस सेंटर में जमा करें

DO NOT COPY

प्रमाणित अस्पताल / डायग्नोस्टिक सेंटर, और सीजीएचएस प्रक्रिया जांच के लिए अनुमोदित दर की सूची

https://cghs.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=6760&lid=3704

https://cghs.nic.in/reports/view_hospital.jsp

सीजीएचएस के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर इलाज करने की सुविधा नहीं है जब ऐसी आवश्यकता होती है तब स्वास्थ्य केंद्र रोगी को किसी सरकारी अस्पताल अथवा सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करने की सलाह देते है। लाभार्थी को स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीजीएचएस मान्यता प्राप्त अस्पताल (Recognized) में उपचार के लिए अथवा विशेषज्ञ की सलाह के लिए अनुमति पत्र देता है। इसे अंग्रेजी में रेफेरल कहते है। लाभार्थी रोग के इलाज के लिए सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल का चयन कर सकते है। यह लाभार्थी के हित में है की वह इलाज के पहले जिस अस्पताल में वह इलाज कराना चाहता है इसके बारे में जानकारी हासिल कर ले। कुछ अस्पताल दिखने में भव्य होते है पर सीजीएचएस के लाभार्थी के साथ सौतेला व्यव्हार करते है। कुछ अस्पताल छोटे भी होते है पर इलाज अच्छा करते है। अस्पताल का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए।

सीजीएचएस सूचीबद्ध अस्पतालों / नैदानिक केंद्रों, की सूची देखने के लिए

Https://cghs.nic.in/reports/view_hospital.jsp

पर जाएं.

Select City - select your city

अपने शहर का चयन करें

Search For - Hospitals /Diagnostic centre
अस्पताल / नैदानिक केंद्र

Approved rate for procedure Investigation

प्रक्रिया जांच के लिए अनुमोदित दर

इस साइट पर आपको अपने शहर में सूचीबद्ध अस्पताल और नैदानिक केंद्र की सूची, और प्रक्रिया की जांच के लिए अनुमोदित दरों के बारे में सभी जानकारी मिलती है। क्योंकि यह सूचि बदलती रहती है इसलिए ऐसे पुस्तक में शामिल नहीं किया गया है।

शिकायत निवारण

लाभार्थी को सीजीएचएस से चिकित्सा प्राप्त करने के समय में अनेक कठनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसे सीजीएचएस के बारे में शिकायतें दर्ज करने की इच्छा होती है। परन्तु वह मन मसोस कर रह जाता है। ध्यान रहे हमें अपनी जायज हक़ के लिए योग्य स्तर पर अवश्य शिकायत करनी चाहिये। जब कोई एक शिकायत करता है तब अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देते है परन्तु जब वही शिकायत बार बार होती है तो प्रशाषन अवश्य जागता है। इन शिकायतों को सुनने के लिए प्रशाषन ने एक व्यवस्था बना रखी है। यह व्यवस्था निम्न प्रकार से कार्य करती है जिसके द्वारा लाभार्थी शिकायतों को भेज सकता है ।

- वेलनेस सेंटर स्तर पर - मुख्य चिकित्सा अधिकारी या प्रभारी को शिकायत दर्ज की जानी चाहिए।
- शहर / क्षेत्र स्तर पर- शहर / क्षेत्र के अतिरिक्त निदेशक को शिकायत दर्ज की जानी चाहिए।
- उच्च प्रशासनिक स्तर - दिल्ली के लिए- अपर निदेशक को शिकायत दर्ज की जानी चाहिए।

संपर्क सूची में पते और संपर्क नंबर मिल सकते हैं।लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीजीएचएस की वेबसाइट पर संपर्क विवरण में व्यक्तिगत रूप से या फोन

कॉल, पत्र या ईमेल के माध्यम से उपर्युक्त क्रम में अधिकारियों से संपर्क करें।

- कल्याण केंद्रों में प्रदर्शित शिकायत / सुझाव बॉक्स में लिखित शिकायतें / सुझाव भी डाले गिराए जा सकते हैं।
- वेलनेस सेंटर स्तर पर शिकायतों को महीने के प्रत्येक 2 शनिवार को आयोजित "सलाहकार समिति" की बैठकों में हल किया जा सकता है।
- सभी बुधवार को, 11.00AM से 1.00 बजे तक शिकायतकर्ता शिकायत निवारण के लिए अतिरिक्त निदेशकों से मिल सकते हैं।
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों से संबंधित शिकायतों को महीने के प्रत्येक 3 गुरुवार को क्षेत्र / शहर के निदेशकों के कार्यालय में आयोजित दावों के दिन में हल किया जा सकता है।
- अपर निदेशक द्वारा पूर्व सूचना के साथ हर छह महीने में दावा अदालत आयोजित की जाती है। (नियत विज्ञापन के बाद)। लाभार्थी अपनी शिकायतें / शिकायतें "लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)" सरकारी पोर्टल- "pgportal.gov.in" या ईमेल के माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं।

DO NOT COPY

- जहाँ तक हो सके शिकायतें लिखित रूप में दर्ज की जानी चाहिये और उसकी एक प्रति अपने पास रखनी चाहिये।

समस्यायें और समाधान

सूचीबद्ध अस्पतालों के विशेषज्ञों द्वारा उपचार के लिए रेफरल प्राप्त करने में लाभार्थियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोविद 19 के कारण स्थिति और अधिक कठिन हो गई है। कोविद १९ के कारण लाभार्थी रेफरल के लिए सीजीएचएस वेलनेस सेंटर जाने की स्थिति में नहीं हैं और इस तरह रेफरल सुविधा से वंचित हैं और अपनी लागत पर सूचीबद्ध अस्पतालों जा रहे हैं. इसके अलावा जब उन्होंने वेलनेस सेंटर से रेफरल नहीं लिया है तो उन्हें सीजीएचएस वेलनेस सेंटर से दवाएं नहीं मिलती हैं ।

समय और परिस्थिति के अनुसार नियमों में बदलाव आवश्यक होता है। समस्या का एक सरल समाधान है कि नियमों में बदलाव करके 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पेंशनभोगियों को किसी भी रेफरल के बिना किसी भी सीजीएचएस से सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा की अनुमति दी जानी चाहिये । यह नियम अभी सिर्फ 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों के लिए यह लागू है।

सीजीएचएस डॉक्टरों/विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित दवाएं, जो वेलनेस सेंटर में उपलब्ध हैं, तुरंत आपूर्ति की जाती हैं, परन्तु वे दवाएं जो वेलनेस सेंटर के स्टोर में उपलब्ध नहीं हैं, अधिकृत

स्थानीय केमिस्ट (ALC) से इंडेंट की जाती हैं और दो कार्यदिवस में वितरित की जाती हैं। कोविद 19 की दृष्टि में यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए कठिन काम है और वास्तव में इन परिस्थितियों में स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के विरुद्ध है।

इस समस्या का सरल समाधान है। एक छोटा स्टोर रूम प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट को स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में आपूर्ति के लिए आवंटित किया जाना चाहिये ताकि वह आदेश प्राप्त करने पर दवा तुरंत जारी कर सके। अन्यथा उसे दवा की आपूर्ति नाममात्र का वितरण शुल्क लेकर लाभार्थियों को ऑनलाइन भेजने के लिए कहा जाना चाहिये।

तीसरी समस्या है सभी अतिरिक्त निदेशकों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में नियमों के कार्यान्वयन में एकरूपता नहीं है। कुछ अतिरिक्त निदेशक शीघ्र भुगतान करते हैं जबकि अन्य इसे कुछ तकनीकी आधारों पर और धन की कमी के कारण देरी करते हैं। सभी वेलनेस सेंटरों में समान रूप से भुगतान करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है। कुछ वेलनेस सेंटर ऑनलाइन परामर्श सुविधा देते हैं, अन्य नहीं। सीजीएचएस के निदेशक से अनुरोध किया जाता है विभिन्न योजनाओं के तहत सभी नियमों और सुविधाओं को देश में सभी अतिरिक्त निदेशकों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिये।

सीजीएचएस बेनेफिशरी वेलफेयर एसोसिएशन

यदि आपका समस्या निवारण उपर्युक्त माध्यमों से नहीं होता है तो Facebook पर **सीजीएचएस बेनेफिशरी वेलफेयर एसोसिएशन** के नाम से एक ग्रुप है। सभी सीजीएचएस सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस संघ के सदस्य बनें, जिसमें 6000 से अधिक सीजीएचएस के सदस्य शामिल हैं।सदस्यों की संख्या किसी भी एसोसिएशन की शक्ति होती है। एसोसिएशन प्रामाणिक जानकारी देता है और सदस्यों को संबंधित अधिकारियों के साथ मामला उठाकर उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करता है। हममें से अधिकतर अब अपने जीवन के आखरी पड़ाव पर है इसलिए हमारा यह कर्तव्य है की हम हमारे उन भाइयों की मदद करें जिन्हे कुछ कारणवश न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा समस्त स्मार्ट कार्ड धारकों से अनुरोध है की वे **सीजीएचएस बेनेफिशरी वेलफेयर एसोसिएशन** के सदस्य बने और हमें अपना सहयोग दें। एसोसिएशन की वेबसाइट **CBWAI.SIMDIF.COM** पर आप अपनी जानकारी देकर असोसिएशन के सदस्य बन सकते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए आपके पास सीजीएचएस का स्मार्ट कार्ड होना आवश्यक है।

Email;cbwaigrp@gmail.com

DO NOT COPY

असोसिएशन के पदाधिकारी

प्रबंध समिति:

1. विश्व नाथ पाण्डेय, अध्यक्ष
2. टीके दामोदरन, महासचिव
3. डॉ। दिलीप गांगुली, कोषाध्यक्ष
4. सी के बापट, राष्ट्रीय समन्वयक
5. विश्व नाथ गुप्ता, उपाध्यक्ष
6. चंचल के भट्टाचार्य, उपाध्यक्ष
7. सुभाष धुलेकर, उपाध्यक्ष
8. सुभाष चंद्र, उपाध्यक्ष
9. पी कुमारन नांबियार, उपाध्यक्ष
10. मनोज मजूमदार, संयुक्त सचिव
11. राम एल मेहता, संयुक्त सचिव
12. सुबोध कुमार, संयुक्त सचिव
13. वी मुथुकृष्णन, ऑडिटर

हमारे सलाहकार:श्री दीपक के भट्टाचार्य

कार्यकारी सदस्य

1. अमल के चौधरी	2. ए पी पानवर
3.सीपीके दासन	4. ज्ञानेंद्र सिंह
5 अश्वनी त्रिषाल	6 जी.आर. बड़गुजर
7 आर कृष्णामूर्ति	8 आर पी शर्मा
9 आरएसनागराजन	10 सोमनाथ जुनेजा
11. टी बी गड्डू	12 विजयकुमार अत्री
13 वी कामेश्वर सरमा	14 असीम कुमार सेन
15 जी के राव	16. बिजयकुमारसिन्हा
17.वीआरजी कृष्णराव	18 लालजी श्रीवास्तव
19.ओमप्रकाश मिश्रा	20. एस एस गिल
21 शेखर चक्रबोर्ती	22 स्वपनकुमार डे
23 विनयप्रकाश	24 वी.एन.कमलाकर
25 उ. जी मोकाशी	26. सुरेश डोरले
27 सुशांत उकील	28. एस. के. अग्रवाल.
29. जे. साईबाबा	30. वि. एन. सिंग